

प्रवेश और फीस नियमन समिति

उत्तर प्रदेश शासन

संख्या— ।२२ / प्र०फी०नि�०स० / २०१७

लखनऊ: दिनांक ०९ जून, २०१७

आदेश

राजीव एकेडमी फार टेक्नोलॉजी एण्ड मैनेजमेन्ट, मथुरा (कोड-173)

बिधिनियम-2006 की धारा-14 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके अधिसूचना संख्या-4781 / ग्राल०- १-२०१५-१४(३४) / २०१५ द्वारा उत्तर प्रदेश निजी व्यावसायिक संस्थाओं में (प्रवेश का विनियमन और फीस का नियतन) विनियमावली-2015 निर्गत ही रही है, जिसमें दिये गये प्राविधानुसार निजी क्षेत्र की डिग्री/डिप्लोमा स्तरीय संस्थाओं में इन २५ पाठ्यक्रमों के शुल्क का निर्धारण किया जाना है।

२ सकृत विनियमावली-2015 के अनुपालन में समिति के आदेश संख्या-115 / प्रफीनिस / २०१६ दिनांक ०७ नवम्बर, २०१६ द्वारा निजी क्षेत्र की डिग्री स्तरीय अभियन्त्रण एवं व्यावसायिक संस्थानों हेतु निम्नवत् मानक शुल्क निर्धारित किया गया है:-

समूह	पाठ्यक्रम का नाम	मानक शुल्क रु०
एक	बी०टेक, बीआर्क, बी०फार्मा, बी०एफ०ए०, बी०एफ०ए०डी०,	५५०००.००
दो	बी०एव०एम०सी०टी०,	७३०००.००
तीस	एम०बी०ए० / एम०सी०ए० / एम०टेक० / एम०फार्मा० / एम०आर्च०	५८०००.००

उक्त आदेश में ऐसी संस्थाओं को जो समिति द्वारा निर्धारित मानक शुल्क से भिन्न शुल्क निर्धारित करवाना चाहती है उन्हे अपना औचित्यपूर्ण प्रस्ताव, लेखा विवरण एवं अन्य समान अभिलेखों सहित समिति की अधिकृत वेबसाइट पर अपलोड करते हुए उसकी एक प्रति समिति कार्यालय में उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये थे। जिसके क्रम में संस्थान द्वारा अपना प्रस्ताव/लेखा विवरण प्रस्तुत करते हुए शैक्षिक सत्र २०१७-१८, २०१८-१९ एवं २०१९-२०२० में शुल्क निर्धारण किये जाने का अनुरोध किया गया है।

३ संस्थान द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का समिति द्वारा परीक्षण किया गया एवं विनियमावली-2015 में दिये गये प्राविधानानुसार संस्थान के प्रतिनिधियों को अपना पक्ष रखने हेतु दिनांक ०१.०५.२०१७ को सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया। संस्थान की ओर से श्री सुनील दत्त रजिस्ट्रार, श्री समीक्ष कुमार अग्रवाल, फाइनेन्स आफीसर ने अवगत कराया कि मैं संस्थान एम०बी०ए० एवं एम०सी०ए० पाठ्यक्रम सचालित हैं जिसमें छात्रों से प्रत्येक पाठ्यक्रम हेतु

प्रमाणित

संधिय

रु. 82,400.00 शुल्क के रूप में लिया जा रहा है जिसे बढ़ाकर रु. 1,08,000.00 किया जाना चाहिए।

समिति द्वारा संस्था के प्रतिनिधियों द्वारा उठाये गये छिन्दुओं को सुना गया एवं अग्रिमावली 2015 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार निम्नवत् को संज्ञान में लेते हुए शुल्क निर्धारण हेतु विचार किया गया:-

i) डेप्रीशिएशन पर व्ययभार

शैक्षिक रस्थान की स्थापना दीर्घ कालीन समय के लिए बिना किसी लाभ अर्जित करने का आवश्यक तरीका है। इस प्रकार संस्थाओं में आयकर के भुगतान का प्रभारण नहीं होता है। अतएव परिसम्पत्तियों पर हारा को गणना के लिए भी आयकर प्रभारण का लाभ नहीं होता है। धूके शैक्षिक संस्थाओं की स्थापना में लाभ का उद्देश न होने के लिए अधिकर प्रभारण की गणना अपेक्षित नहीं है। अतः डब्लू०डी०वी० अथवा एस०एल०एम० अनुसार संस्था के रांचालन हेतु केंश पलो पर प्रभाव नहीं पड़ता है। इसका एक मात्र कारण इस को आधार बनाकर फीस निर्धारण में किया जा सकता है। संस्था द्वारा सृजित अवसरचनाओं का पूर्ण लाभ एवं उपयोग दूरगामी वर्षों तक समान रूप से उपलब्ध नहीं होता है। इसलिए शुल्क निर्धारण के उद्देश्य से कठिपय संस्थाओं की अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए धूके उनकी परिसम्पत्तियों पर डब्लू०डी०वी० (रिटन डाउन वैल्य) पद्धति से हास लिया जाता है तो पहले के वर्षों में अधिक शुल्क और उसके बाद के वर्षों के शुल्क की घाँट कम करने का औचित्य बनेगा। इस प्रकार संस्थाओं में संस्थापित परिसम्पत्तियों पर छात्रों की समान लाभ की उपलब्धता बनाये रखने में संस्थाओं की परिसम्पत्तियों पर स्टेट लाइन पद्धति के अनुसार डेप्रीशिएशन ग्रेजुएटेड रूप में देना औचित्यपूर्ण पाया गया है। अग्रिम अनुसारचनावली-2015 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार संस्थाओं के शुल्क निर्धारण प्रक्रिया में अपनी एकट-1956 में वर्णित स्टेट एण्ड पद्धति का उपयोग किया गया है।

ii) विज्ञापन पर व्ययभार

शैक्षिक संस्थानों में समय-समय पर आवश्यकतानुसार शैक्षिक/गैर शैक्षिक स्टाफ की नियुक्ति एवं छात्रों को नये सत्र में प्रवेश सम्बन्धी जानकारी आदि देने के लिए अथवा संस्था उद्देश्य में किसी प्रकार का निर्माण कार्य कराने या प्रयोगशालाओं के लिए सामग्री आदि क्रय करने के लिए प्रायः विज्ञापन दिये जाते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ शैक्षिक रास्थाये अपने उपलब्धियों के विषय में समय-समय पर बहुमूल्य पत्रिकाओं, समाचार पत्रों, रेडियो और टेली के माध्यम से सजावटी विज्ञापन कर प्रचार-प्रसार करते हैं या कभी-कभी कठिपय संस्थान विशेष इवेन्ट्स को एस्पोंसर्ड कराने में अधिक धनराशि व्यय करते हैं। ज्ञातव्य है कि संस्थानों के सचालन हेतु आवश्यक मदों के अन्तर्गत व्यय हुई धनराशि को संज्ञान में लिया जाना आवश्यक है, जिसमें प्रवेश सूचना, स्टाफ की आवश्यकता, निर्माण कार्य अथवा सामग्री क्रय के लिए टेंडर आदि के आवश्यक मदों में ही कार्य संचालन के उद्देश्य से विज्ञापन

प्रभारित

मृग

संघिय

संघ और फीस नियन्त्रण समिति

(vi) कुल व्ययमार प्रति छात्र

संस्थाओं द्वारा विभिन्न मदों में व्यय हो रही कुल धनराशि को ए0आई0सी0टी0ई0 द्वारा निर्धारित एवं पाठ्यक्रमवार स्वीकृत छात्रों की संख्या से विभाजित करके प्रतिछात्र व्यय की गणना की जायेगी। सरथा के प्रतिनिधियों द्वारा बताया गया कि व्ययमार की कुल धनराशि को अधिकारी वारतविक छात्र-छात्राओं की संख्या से विभाजित करके प्रति छात्र व्यय की गणना की जानी चाहिए न कि ए0आई0सी0टी0ई0 द्वारा निर्धारित स्वीकृत छात्र-छात्राओं की संख्या से की जाय। इसमें यह तथ्य विचारणीय है कि संस्था का शुल्क तीन वर्ष की अवधि के लिए दर्ता होगा। अतः एवं वारतविक छात्रों की संख्या पर औंगणन की स्थिति में यदि आगामी वर्षों में व्यवशित छात्रों की संख्या में बढ़ोत्तरी होने पर संस्था में प्रोफिटियरिंग होगी जो मात्र सर्वोच्च प्रायोगिक्य के निर्णय में निहित भावनाओं/निर्णय के प्रतिकूल होगा। अतः विनियमावली-2015 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार संस्था द्वारा किसी राष्ट्रीयकृत बैंक से यदि अवसरायन एवं अन्य फिक्सड कैपिटल एसेट्स के लिए ऋण लिया गया है एवं उस पर व्याज का भुगतान संस्था द्वारा किया गया है तो व्याज की अधिकतम 25 प्रतिशत धनराशि व्ययमार में सम्मिलित नहीं की जायेगी जिस ऋण का उपयोग छात्रावास एवं अन्य ऐसे किसी कार्य में किया गया है जिसके लिए छात्र/छात्राओं से अतिरिक्त शुल्क लिया जा रहा है।

(vii) व्याज पर व्ययमार

विनियमावली-2015 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार संस्था द्वारा किसी राष्ट्रीयकृत बैंक से यदि अवसरायन एवं अन्य फिक्सड कैपिटल एसेट्स के लिए ऋण लिया गया है एवं उस पर व्याज का भुगतान संस्था द्वारा किया गया है तो व्याज की अधिकतम 25 प्रतिशत धनराशि व्ययमार में सम्मिलित नहीं की जायेगी जिस ऋण का उपयोग छात्रावास एवं अन्य ऐसे किसी कार्य में किया गया है जिसके लिए छात्र/छात्राओं से अतिरिक्त शुल्क लिया जा रहा है।

(viii) डायरेक्ट आवर्ती व्यय का व्ययमार

विनियमावली-2015 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार पुस्तकालय में क्य किये गये प्रियाडिक्लस एवं जनरल की धनराशि को आवर्ती व्यय मानते हुए इस मद में सम्मिलित किया गया है परन्तु संस्था द्वारा क्य की गयी पुस्तकों की धनराशि को पूँजीगत व्यय माना गया है।

(ix) विद्युत पर व्ययमार

विनियमावली-2015 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार संस्था द्वारा विद्युत व्यय पर होने वाला कुल व्यय इस शर्त के साथ स्वीकार किया गया है कि विद्युत का उपयोग केवल विद्युत में शैक्षिक भवन एवं प्रयोगशालाओं में उपकरणों पर किया जाये।

प्रमाणित



संविव

प्रधान और कीस नियन समिति

उ० प्र० शासन

५ शुल्क निर्धारण हेतु समिति द्वारा संस्थाओं के वर्ष 2015-16 की प्रमाणित बैलेन्स सीट का आधार मानकर वर्ष 2015-2016 के लिए व्यय धनराशि का आंकलन किया गया। इस प्रकार से प्राप्त धनराशि पर वर्ष 2016-2017 के लिए 7 प्रतिशत सी०पी०आई० (कन्जूमर प्राइस इन्डेक्स) की बढ़ोत्तरी रेट ऑफ इन्फलेशन को आधार मानकर शुल्क की गणना की गई। वर्ष 2017-18 के लिए सी०पी०आई० (कन्जूमर प्राइस इन्डेक्स) के आधार पर 7 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी करते हुए प्राप्त धनराशि में वर्ष 2018-2019 के लिए सी०पी०आई० इन्डेक्स के आधार पर 7 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी की गई। इस प्रकार प्राप्त धनराशि पर वर्ष 2019-20 के लिए पुनः सी०पी०आई० इन्डेक्स के आधार पर 7 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी की गई। वर्ष 2017-2018, 2018-19 एवं 2019-20 में की गयी बढ़ोत्तरी कमशः 7 प्रतिशत, 7 प्रतिशत एवं 7 प्रतिशत का औसत मूल्य निकालकर तथा इस प्रकार से प्राप्त आंकलित धनराशि पर उपरोक्त मद में 10 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी करते हुए अन्तिम शुल्क निर्धारित किया गया।

६ उपरोक्त विन्दुओं एवं छात्रावास पर हुए व्यय के अनुपात को संज्ञान में लेकर समिति द्वारा समर्पक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि राजीव एकेडमी फार टेक्नोलॉजी एण्ड मनेजमेन्ट, मथुरा में सचालित पाठ्यक्रमों हेतु शैक्षिक सत्र 2017-18, 2018-19 एवं 2019-20 में निम्नावत शुल्क निर्धारित किया जाता है:-

संस्था का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	निर्धारित शुल्क
राजीव एकेडमी फार टेक्नोलॉजी एण्ड मनेजमेन्ट, मथुरा	एम०बी०ए० एम०सी०ए०	रु० 85,440.00 रु० 85,416.00

संस्था के शुल्क निर्धारण से सम्बंधित गणना पत्र पृष्ठ संख्या-01 से 05 तक संलग्न है। उपरोक्त निर्धारित शुल्क शैक्षिक सत्र 2017-18 से आगामी दो वर्षों (कुल तीन वर्ष) के लिए लागू होगा। निर्धारित शुल्क में छात्रावास शुल्क, विश्वविद्यालय परीक्षा शुल्क एवं उभयनाम की धनराशि को छोड़कर समस्त प्रकार के शुल्क सम्मिलित है। यह शिक्षण शुल्क सत्र 2017-18, 2018-19 एवं 2019-20 में प्रवेशित छात्रों से लिया जाना होगा। पूर्व से प्रवेशित छात्र-शमश्रओं से इनके प्रवेश के वर्ष में निर्धारित शिक्षण शुल्क ही लिया जाना प्रभावी रहेगा।

समिति द्वारा निर्धारित शुल्क की सूचना समिति की अधिकृत वेब-साइट www.afrcup.in पर प्रदर्शित है तथा संस्था द्वारा भी इस आदेश की प्रति प्राप्त होने के एक दिन के अन्दर निर्धारित शुल्क की सूचना अपनी अधिकृत वेब-साइट पर प्रदर्शित किया जाना अनियार्य होगा।

प्रमाणित

सचिव

प्रवेश और कीस नियमन समिति

३० प० शाहन

उत्तर प्रदेश व्यावसायिक शैक्षणिक संस्थान (प्रवेश का विनियमन और फीस का नियमन) अधिनियम, 2006 की धारा-4 के अन्तर्गत गठित समिति के किसी आदेश के विरुद्ध अधिनियम का नियोग हेतु उक्त अधिनियम की धारा 11(1) के अन्तर्गत मात्र उच्च न्यायालय के अन्तर्गत न्यायाधीश की अध्यक्षता में अपील प्राधिकरण का गठन आदेश संख्या-3393 / नियम-1- 2009- 5(डब्लू-48) / 2003 दिनांक 14.10.2009 द्वारा किया जा चुका है।

(पवन कुमार गगवार)

सदरय

कुलसचिव

डा० ए०पी०जे० अब्दुल कलाम प्राविधिक
विश्वविद्यालय,
उ०प्र०, लखनऊ।

(ओ०पी० द्विवेदी)

सदरय

विशेष सचिव, वित्त,

उ०प्र० शासन।

(भुवनेश कुमार)

अध्यक्ष

सचिव,

प्राविधिक शिक्षा विभाग, उत्तर
शासन।

निम्नलिखित एवं दिनांक तारीख-

निदेशक - निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

निदेशक / प्राकार्य राजीव एकेडमी फार टेक्नोलॉजी एण्ड मैनेजमेन्ट, मथुरा।

कुल सचिव, डा० ए०पी०जे० अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय, लखनऊ।

3. अनुसारिव, प्राविधिक शिक्षा, अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन।

4. प्रमुख सचिव / सचिव, समाज कल्याण / पिछड़ा वर्ग / अल्पसंख्यक विभाग।

5. गाड़ फाइल।

आज्ञा से

J. Singh
(डा० वी०ए०स० सिंह)
सचिव